

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 1080/2025

Mamrej Alias Angu Khan Son Of Rahmat Khan,

----Appellant

Versus

Jannati Bewa Late Roshan,

----Respondent

For Appellant(s) : Ms. Mamta Yadav

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

03/07/2025

अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील 25 दिवस के विलम्ब से पेश की गई है, जिसे क्षमा किए जाने बाबत उनके द्वारा पृथक से धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना गया।

धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व कारणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए 25 दिवस के विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

प्रत्यर्थीगण को इस अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस साधारण एवं रजिस्टर्ड डाक दोनों माध्यम से जारी किए जावें।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण इस संबंध में पी0एफ0 नोटिस एवं रजिस्ट्री चार्ज एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।

विचारण न्यायालय से प्रकरण का अभिलेख तलब किया जावे।

पत्रावली छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J